न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
12 / 2020	2020 / 00032	04.08.2020	26.03.2021

उनवान

श्रीमति गुलाब कंवर पुत्री श्री बन्नेसिंह **पत्नी श्री नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी सी–9, पंचशील कॉलोनी, पुरानी चूंगी, अजमेर रोड़, जयपुर।**

प्रार्थीया

बनाम

श्रीमति इन्दु कंवर पुत्री श्री बन्नेसिंह **पत्नी** किशोरसिंह **जाति राजपूत निवासी ग्राम भगवतपुरा पोस्ट ढिन्धा, जोबनेर जिला जयपुर व अन्य।**

अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

श्री मदन सांखला, वकील, प्रार्थीया।

श्री एस.के. चौधरी, वकील, अप्रार्थीगण सं0 01 से 09।

पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राज0काश्त0अधि0 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि आराजी पर काश्त के लिये जाने हेतु प्रार्थीया के पास वर्तमान में कोई रिकार्डेड रास्ता/मार्ग आदि मौजूद नहीं है।

प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम तिलोरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर में स्थित है जो कि राजस्व जमाबन्दी 2072 से 2075 के अनुसार [illegible]

खाता नम्बर		खसरा नम्बर	रकबा हैक्टयर	किस्म
नया	पुराना			
635	311	2390	0.1300	चाही 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.04.12 10:46:33 IST
Reason: SelfAttested

26/03/2021
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

	2932 / 2384	0.0100	चाही 1
	2936 / 2388	0.1850	चाही 1
	2940 / 2380	0.0100	चाही 1
	2942 / 2381	0.0400	चाही 1
	2944 / 2382	0.1000	चाही 1
	2946 / 2383	0.1900	चाही 1
	2949 / 2385	0.0050	चाही 1
	2952 / 2389	0.2800	चाही 1
योग	कुल किता 09	0.9500	चाही 1

प्रार्थीया कदीमी काल से ही उपरोक्त सारणी में वर्णित आराजी के दक्षिण–पूर्वी दिशा की ओर लगते हुए अप्रार्थीगण के खेत संख्या 2392, 2943 / 2381 की सीमा में से आवागमन करते आ रहे है। वर्तमान में अप्रार्थीगण ने यहा से निकलने के लिए प्रार्थीया को स्पष्ट मना कर दिया जिससे प्रार्थीया के लिए अपने खेत में काश्त करना दुभर हो गया। प्रार्थीया अपनी आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2390, 2932 / 2384, 2936 / 2388, 2940 / 2380, 2942 / 2381, 2944 / 2382, 2946 / 2383, 2949 / 2385, 2953 / 2389 में आवागमन व कृषि कार्य करने के लिए अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 2392, 2943 / 2381 में से करीबन 30 फीट चौड़ा नया रास्ता चाहने के लिए न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। इस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 की तरफ से अभिभाषक श्री एस0के0चौधरी उपस्थित हुए। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 25.03.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 धारा 151 सीपीसी के तहत पेश किया गया। प्रार्थीया अभिभाषक को प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 पर दिनांक 26.03.2021 को सुना गया। प्रार्थीया अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 इन्दु कंवर पुत्री श्री बन्नेसिंह से किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 01 की सम्पूर्ण आराजी खसरा नंबर 2943 / 2381 को प्रार्थीया द्वारा क्रय करना अवगत कराया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.03.2021 की प्रति पेश की। अप्रार्थी संख्या 01 के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 का जवाब पेश किया गया। प्रार्थीया अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 06 नियम 17 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 10 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.04.12 10:46:33 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है "कि प्रार्थीया वर्तमान में अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए खसरा नम्बर 2373 रकबा 1.20 किस्म गै.मु.नदी में स्थित चालू रास्ते का उपयोग कर

26/03/2021
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

रही है। यह खसरा नम्बर 2373 राजस्व रिकॉर्ड में अजमेर विकास प्राधिकरण (ए.डी.ए) के नाम दर्ज है। अतः इस खसरा नम्बर में नियमानुसार रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। मौका जांच के दौरान प्रभावित पक्षकारान को आपसी राजीनामे से रास्ता देने हेतु समझाईश की गई लेकिन प्रभावित पक्ष सहमत नहीं हुए। प्रभावित पक्षकारान द्वारा सहमत नहीं होने की स्थिति में लघुतम / निकटतम रास्ता प्रस्तावित कर ख.नं. 2392 के दक्षिणी दिशा में रास्ते का प्रस्ताव तैयार किया गया। यह रास्ता / प्रस्तावित रास्ता मुख्य मार्ग ख.नं. 2393 पर पहुंचने के लिए निकटतम रास्ता है। खसरा नम्बरवार रास्ते के क्षेत्रफल की गणना की गई, जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	ख.नं.	खातेदार का नाम	प्रभावित रकबा	डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि
1	2392	अन्नूकंवर पुत्री रामसिंह 1 / 25 हि. जाति राजपूत	लम्बाई गुणा चौडाई 54 × 9.14=493.56 वर्ग मीटर	254711 /– रूपये (मुख्य आबादी से दूर सड़क के पास) डी.एल.सी. दर 2580340 /– रूपये प्रति हैक्टेयर
		उषा देवी पत्नी भैरूलाल 1 / 6 हि. जाति माली		
		दुर्गासिंह पुत्र रामसिंह 1 / 25 हि. जाति राजपूत		
		दशरथसिंह पुत्र रामसिंह 13 / 75 हि. जाति राजपूत		
		धापुकंवर पत्नी रामसिंह 1 / 25 हि. जाति राजपूत		
		पप्पूसिंह उर्फ प्रभुसिंह पुत्र मंगसिंह 1 / 6 हि. जाति राजपूत		
		भंवरकंवर पुत्री रामसिंह हि. 1 / 25 जाति राजपूत		
		हनुमानसिंह पुत्र मंगसिंह हि. 1 / 3 जाति राजपूत		

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीया की कृषि आराजी भूमि खाता संख्या 635 नया व 311 पुराना के खसरा नम्बरों 2390, 2932 / 2384, 2936 / 2388, 2940 / 2380, 2942 / 2381, 2944 / 2382, 2946 / 2383, 2949 / 2385, 2952 / 2389, 2943 / 2381, 2386, 2937 / 2388, 2945 / 2382, 2947 / 23[illegible] में से आवागमन हेतु न्यूनतम / निकटतम मार्ग चौडाई 30 फीट खसरा नम्बर 2392 में से देना न्याय[illegible] उचित प्रतीत होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाकर इस हेतु तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार राशि प्रार्थीया से वसूल की जाकर अप्रार्थीगण को वितरण किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.04.12 10:46:33 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 26/03/2021
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

जावें एवं राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावें।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व ग्राम तिलोरा, तहसील पुष्कर की आधार नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में, खसरा नम्बर 2392 के प्रभावित रकबा 493.56 वर्ग मीटर को बिलानाम सरकार किस्म गै0मु0रास्ता (चौडाई 30 फीट) दर्ज रिकॉर्ड किया जावें एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में आवश्यक तरमीम की जावें।

प्रतिकर राशि वितरण तालिका

क्र. सं.	ख.नं.	खातेदार का नाम	प्रभावित रकबा/आराजी रास्ते हेतु उपयोग	डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि/प्रतिकर राशि
1	2392 रकबा 1.7000 है0	अन्नूकंवर पुत्री रामसिंह 1/25 हि. जाति राजपूत	लम्बाई गुणा चौडाई 54 × 9.14=493.56 वर्ग मीटर	254711 /– रूपये (मुख्य आबादी से दूर सड़क के पास) डी.एल.सी. दर 2580340 /– रूपये प्रति हैक्टेयर
		उषा देवी पत्नी भैरूलाल 1/6 हि. जाति माली		
		दुर्गासिंह पुत्र रामसिंह 1/25 हि. जाति राजपूत		
		दशरथसिंह पुत्र रामसिंह 13/75 हि. जाति राजपूत		
		धापुकंवर पत्नी रामसिंह 1/25 हि. जाति राजपूत		
		पप्पूसिंह उर्फ प्रभुसिंह पुत्र मंगसिंह 1/6 हि. जाति राजपूत		
		भंवरकंवर पुत्री रामसिंह हि. 1/25 जाति राजपूत		
		हनुमानसिंह पुत्र मंगसिंह हि. 1/3 जाति राजपूत		
		कुल प्रतिकर राशि		254711 /– रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.04.12 10:46:33 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 26.03[illegible] सुनाया गया।

26/03/2021
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पुष्कर
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)